माननीय अध्यक्ष महोदय!

आपकी अनुमति से, मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2012–13 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

वृहत् आर्थिक परिदृश्य

2. 11वीं योजना के दौरान सुदृढ़ वृहत् आर्थिक मूल सिद्धान्त और बेहतर प्रदर्शन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता रही है। पहले चार वर्षों में विकास दर औसतन 8.2 प्रतिशत रही, यद्यपि 2011–12 में यह कुछ धीमी पड़ गई। माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि राज्य की अर्थव्यवस्था ने 11वीं योजना के पहले चार वर्षों में 9.3 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर हासिल की, जोकि राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। हमारा प्रति व्यक्ति निवेश देश में सर्वाधिक है और हमारी प्रति व्यक्ति आय भी गोवा के बाद सबसे अधिक है। गत वर्ष मुद्रास्फीति के अत्यधिक दबावों तथा मंदी के बावजूद हम चालू वर्ष के बजट में प्रस्तुत अनुमानों के अनुसार अपने राजस्व तथा वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने में सफल रहे हैं। हमने विवेकशील एवं परम्परागत वित्तीय प्रबन्धन की नीति को कारगर विकासोन्मुखी लक्ष्य के साथ समायोजित किया है।

3. इस गरिमामय सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वर्ष 2010–11 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य की अर्थव्यवस्था द्वारा 9.6 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने का अनुमान है। वर्तमान मूल्यों पर, वर्ष 2010–11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2,64,149 करोड़ रुपये

अनुमानित है जबकि वर्ष 2009–10 में यह 2,22,031 करोड़ रुपये था, जोकि 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2011–12 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों पर 1,09,227 रुपये रहने की सम्भावना है।

4. गत कुछ वर्षों के दौरान ढांचागत बदलाव की गति त्वरित हुई है। वर्ष 2004–05 के दौरान राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 23.1 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों का योगदान क्रमश: 32.9 प्रतिशत और 44.0 प्रतिशत रहा। वर्ष 2011–12 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 54.6 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान घटकर 16.3 प्रतिशत रह गया। यह राष्ट्रीय रूझान के अनुरूप है।

प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)

5. ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था अनेक आयामों में सुदृढ़ हुई है तथा 12वीं योजना के दौरान यह पूरी तेजी, दीर्घकालिक एवं अधिक समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 12वीं योजना का केन्द्र–बिन्दु व्यापक होगा तथा स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार, बच्चों की स्कूल तक सार्वभौमिक पहुंच, उच्चतर शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाने एवं कौशल विकास सहित शिक्षा के स्तर को सुधारने और पानी, बिजली, सड़कें, स्वच्छता एवं आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुधार पर केन्द्रित रहेगा। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं बच्चों की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया जायेगा, जिन के संबंध में अनेक क्षेत्रों में प्रासंगिक योजनाओं की पहुंच के मामले में विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

6. 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) का आकार 90,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जोकि 11वीं योजना के 35,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से 157 प्रतिशत अधिक है। 12वीं योजना के दौरान विभागों को योजनागत परिव्यय आबंटित करते समय सामाजिक न्याय एवं कल्याण के साथ विकास की रणनीति को जारी रखा जायेगा। तदानुसार, सामाजिक सेवा क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 49,474.30 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित किया गया है, जोकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुल प्रस्तावित परिव्यय का 54.97 प्रतिशत है।

प्रस्तावित वार्षिक योजना 2012–13

7. राज्य ने भारत सरकार के योजना आयोग को वार्षिक योजना 2012–13 के लिए 14,500 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है। यह परिव्यय वार्षिक योजना 2011–12 के 13,200 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से 9.85 प्रतिशत अधिक है। सामाजिक सेवा क्षेत्र को 7726 करोड़ रुपये (53.28 प्रतिशत) के परिव्यय के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सामाजिक सेवाओं में वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं एवं निराश्रितों के लिए पेंशन के प्रावधान को उच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ये समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं। तदानुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए 1684 करोड़ रुपये (11.61 प्रतिशत) का परिव्यय रखा गया है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास सहित शिक्षा के लिए 2965 करोड़ रुपये (20.45 प्रतिशत) का परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है। चिकित्सा शिक्षा सहित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 566.55 करोड़ रुपये (3.91 प्रतिशत) का परिव्यय निर्धारित करके वार्षिक योजना में इन सेवाओं को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य के सभी गावों में पहले से ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है। अत: अब लोगों के

लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। तदनुसार, पेयजल आपूर्ति बढ़ाने और स्वच्छता में सुधार के लिए 780 करोड़ रुपये (5.38 प्रतिशत)का परिव्यय प्रस्तावित है।

8. सिंचाई, बिजली, सड़कें एवं सड़क परिवहन की आधारभूत संरचना के सुधार एवं विस्तार के लिए 4155.62 करोड़ रुपये (28.66 प्रतिशत) का परिव्यय आबंटित किया गया है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान सिंचाई क्षेत्र को 860 करोड़ रुपये (5.93 प्रतिशत) का परिव्यय, ऊर्जा क्षेत्र अर्थात् बिजली के उत्पादन, संप्रेषण एवं वितरण के लिए 1356.68 करोड़ रुपये (9.36 प्रतिशत)का परिव्यय और सड़कें एवं सड़क परिवहन क्षेत्र को 1465.94 करोड़ रुपये (10.11 प्रतिशत) का परिव्यय आबंटित किया गया है।

विकास एवं पंचायत

9. विकास एवं पंचायत विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख और पंचायती राज संस्थाओं की गतिविधियों के साथ तालमेल स्थापित करता है।

10. महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी स्कीम नामक दो मुख्य योजनाओं को आगामी वर्ष में नये उत्साह के साथ क्रियान्वित किया जायेगा। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत छः लाख से भी अधिक परिवार पात्र हैं। इनमें से, 3.80 लाख परिवारों को पहले ही प्लाट आबंटित किये जा चुके हैं और शेष पात्र परिवारों को, जहां पंचायत की भूमि उपलब्ध है, ऐसे प्लाटों के आबंटन के प्रथम चरण का कार्य जारी है। दूसरे चरण में शेष गांवों को शामिल किया जायेगा, जहां अधिग्रहण के उपरांत भूमि उपलब्ध करवायी जानी है।

11. केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 के लिए 86 लाख मानवदिवस सृजित करने के लिए शुरू में 226.80 करोड़ रुपये का श्रम बजट अनुमोदित किया था। राज्य सरकार के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर, मंत्रालय ने 115.70 लाख मानवदिवस सृजित करने के लिए श्रम बजट संशोधित करके 305.09 करोड़ रुपये किया। इस योजना के तहत, वार्षिक योजना 2012-13 के लिए 309 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

12. ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मकान के निर्माण के लिए 45,000 रुपये प्रति इकाई की दर से सहायतानुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत, वार्षिक योजना 2012-13 के लिए 96.80 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

13. बेरोज़गारी की चुनौती से निपटने के लिए आजीविका (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) को वर्ष 2011-12 से राज्य के सभी जिलों में पांच चरणों में क्रियान्वित किया जायेगा। प्रथम चरण में, वर्ष 2012-13 के दौरान क्रियान्वयन के लिए जिला कैथल, मेवात, भिवानी एवं झज्जर (प्रत्येक जिले में तीन खण्ड) के 12 खण्डों की पहचान की गई है। वार्षिक योजना 2012-13 के लिए 55.20 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

14. जिला महेन्द्रगढ़ एवं सिरसा को वर्ष 2007-08 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष नामक शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित योजना के तहत लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय निकायों द्वारा चिह्नित विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के अंतर को पाटना है। इस योजना के तहत जनवरी, 2012 तक 21.07 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई और 723 कार्य पूरे हो चुके हैं एवं 1359 कार्य प्रगति पर हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2012-13 के लिए 33 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

15. मैं, वर्ष 2012–13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 1206.59 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 101.73 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 983.52 करोड़ रुपये का योजनागत और 223.07 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

शहरी विकास

16. प्रदेश में 77 शहरी स्थानीय निकाय हैं। नवगठित सात नगर निगम अब मज़बूत हो चुके हैं। नयी नगर लेखा संहिता तैयार की गई है, जिसे आगामी वित्त वर्ष में क्रियान्वित किया जायेगा।

17. शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के सुधार हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2012–13 के बजट में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत 168.55 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत, राज्य सरकार ने 102 बसें खरीद कर फरीदाबाद शहर के लिए इंट्रा–सिटी परिवहन प्रणाली भी शुरू की है। छोटे एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत संरचना विकास योजना के तहत आगामी वित्त वर्ष के दौरान 103.58 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

18. राज्य सरकार ने प्रदेशभर में शहरी आधारभूत संरचना के विकास के लिए मिशन के तौर पर प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में राजीव गांधी शहरी विकास मिशन, हरियाणा शुरू किया है। वैट पर उपकर से होने वाली आय का इस्तेमाल मिशन को वित्त उपलब्ध करवाने के लिए किया जा रहा है। इस मिशन के तहत, चालू वित्त वर्ष में विभिन्न नगर पालिकाओं को

323.54 करोड़ रुपये जारी किये गये और आगामी वित्त वर्ष के लिए 512 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

19. 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक की अवधि के लिए हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों को 534.41 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, इस योजना के तहत 87.97 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें से 25 करोड़ रुपये अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत 117.44 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

20. फरीदाबाद मैट्रो परियोजना अंततः साकार होने जा रही है। भारत सरकार के मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा 9 अगस्त, 2011 को कुल 2494 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना को अनुमोदित किया गया और इस परियोजना के सितम्बर, 2014 तक चालू होने की संभावना है।

21. मैं, वर्ष 2012-13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 1761 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 65.99 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 1724.40 करोड़ रुपये का योजनागत और 36.60 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

शिक्षा

22. गत कुछ वर्षों के दौरान, प्रदेश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में व्यापक विस्तार एवं सुधार हुआ है और यह प्रक्रिया आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। वर्ष 2012-13 के दौरान, सरकारी महाविद्यालयों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में कम्प्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र और वाणिज्य जैसे अधिक मांग वाले पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या और बढ़ाई जायेगी।

23. प्रदेश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 10,45,118 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 12.4 प्रतिशत के राष्ट्रीय सकल दाखिला अनुपात की तुलना में इन संस्थानों में सकल दाखिला अनुपात लगभग 15 प्रतिशत है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 25 एकड़ भूमि पहले ही आबंटित की जा चुकी है।

24. आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान, चार नये राजकीय महाविद्यालय नामत: राजकीय महिला महाविद्यालय, बवानी खेड़ा (भिवानी), राजकीय महिला महाविद्यालय, सलहेड़ी (मेवात), राजकीय महाविद्यालय, पलवल तथा राजकीय महिला महाविद्यालय रतिया (फतेहाबाद) में शुरू किये जायेंगे।

25. राज्य सरकार ने 3 जून, 2011 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हरियाणा के प्रत्येक बच्चे के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 अधिसूचित किए। अब, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चे आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं एवं वर्दियां भी उपलब्ध करवा रही है।

26. प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 36 खण्डों में ''आरोही मॉडल स्कूल'' नामक एक-एक मॉडल स्कूल संचालित किया गया है। ऐसी आशा है कि आने वाले वर्ष में ये स्कूल अपने नवनिर्मित भवनों में स्थानांतरित हो जायेंगे। आधारभूत संरचना एवं शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में ये स्कूल अपने आस-पास के क्षेत्रों के लिए एक आदर्श होंगे। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रत्येक खण्ड में ''कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना'' के तहत लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऐसे नौ स्कूल पहले से

ही संचालित हैं और शेष 27 खण्डों में आगामी वित्त वर्ष से ऐसे स्कूलों को संचालित कर दिया जायेगा। आगामी वर्ष के दौरान प्रत्येक ''आरोही मॉडल स्कूल'' के निकट लड़कियों के हॉस्टल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

27. वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के मद्देनज़र सरकार ने अतिरिक्त 374 स्कूलों में विज्ञान संकाय और अतिरिक्त 87 स्कूलों में वाणिज्य संकाय शुरू किये हैं। अब, लगभग 50 प्रतिशत वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में दस जमा दो स्तर पर विज्ञान व वाणिज्य शिक्षा प्रदान की जा रही है।

28. पाठ्यक्रम मानकों एवं शिक्षण क्षमता में एकरूपता लाने के मद्देनज़र माध्यमिक कक्षाओं (9–12) के शिक्षण का कार्य स्नातकोत्तर शिक्षकों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के 9545 अतिरिक्त पद सृजित किये हैं और इन रिक्तियों को नवगठित हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड के माध्यम से भरने का निर्णय लिया है।

29. कृषक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान, गणित व वाणिज्य विषयों की शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने ''किसान आदर्श विद्यालय'' खोलने का निर्णय लिया है। वर्ष 2012–13 के दौरान छः जिलों नामतः यमुनानगर, करनाल, जीन्द, झज्जर, महेन्द्रगढ़ और रोहतक में ऐसे 15 किसान आदर्श विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। तत्पश्चात्, प्रत्येक जिले में एक किसान आदर्श विद्यालय होगा।

30. राज्य ने स्कूल शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में निजी स्कूलों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सदा महत्व दिया है। विद्यार्थियों को स्कूलों में लाने– ले जाने वाली गैर–वातानुकूलित बसों को यात्रीकर की अदायगी करने से छूट देना प्रस्तावित है।

31. मैं, वर्ष 2012–13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 8245.58 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 1369.59 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 3021.93 करोड़ रुपये का योजनागत और 5223.65 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल हैं।

खेल एवं युवा मामले

32. प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का मात्र दो प्रतिशत है, लेकिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने हाल ही में देश द्वारा जीते गये कुल अंतरराष्ट्रीय पदकों में से लगभग एक तिहाई पदक प्राप्त किये हैं। शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया खेल एवं शारीरिक योग्यता परीक्षण (स्पैट) बड़ी संख्या में बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करने में सफल रहा है। इससे सब–जूनियर एवं जूनियर स्तर पर खेलों में सुधार हुआ है।

33. अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों को खेलों के लिए प्रेरित करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ''फेयरप्ले स्कॉलरशिप'' कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य स्तर पर प्रतिभागियों और प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को क्रमश: 1500 रुपये, 3500 रुपये, 3000 रुपये और 2500 रुपये दिये जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को क्रमश: 5000 रुपये, 4000 रुपये और 3000 रुपये दिये जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को क्रमश: 7000 रुपये, 6000 रुपये और 5000 रुपये की मासिक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। महिला खिलाड़ियों के मामले में एक हजार रुपये अतिरिक्त दिये जायेंगे। अनुसूचित जाति वर्गों के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के प्रशिक्षण, यात्रा एवं साजो–सामान का पूरा खर्च भी विभाग वहन करेगा।

34. कुश्ती हमारे गांवों का एक बहुत लोकप्रिय खेल है। बहरहाल, अधिकतर अखाड़ों में आधारभूत संरचना अब भी बहुत पुरानी है। ऐसे सभी अखाड़ों, जो कम से कम पांच वर्षों से विद्यमान हैं, को पांच-पांच लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान देने का प्रस्ताव है।

35. मैं, वर्ष 2012-13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 127.17 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 43.72 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 71.26 करोड़ रुपये का योजनागत और 55.91 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण

36. तकनीकी शिक्षा विभाग राष्ट्रीय एवं राज्य की नीतियों के अनुरूप प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के सुनियोजित एवं दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करता है। वर्ष 1966 में एक पृथक राज्य के रूप में हरियाणा के गठन के समय, प्रदेश में केवल छ: बहुतकनीकी संस्थान और कुरुक्षेत्र में एक इंजीनीयरिंग कॉलेज था, जिनकी वार्षिक दाखिला क्षमता 1341 विद्यार्थियों की थी। शैक्षणिक सत्र 2011-12 में संस्थानों की संख्या बढ़कर 640 और दाखिला क्षमता 1,42,226 विद्यार्थियों की हो गई।

37. पांच बहुतकनीकी संस्थान नामत: चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा सिंचाई एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी संस्थान, हथनीकुंड (यमुनानगर), राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, उमरी (कुरुक्षेत्र), जाटल (पानीपत), धांगड़ (फतेहाबाद) और नानकपुर (पंचकूला) में वर्ष 2012-13 में शुरू हो जायेंगे।

38. रोहतक में फैशन एवं डिजाइन, फिल्म एवं टेलीविज़न और फाइन आर्ट्स के राज्य संस्थानों के प्रथम चरण का कार्य चालू वर्ष में पूरा हो गया और कोर्स

शुरू हो गये हैं। इस परियोजना के जुलाई, 2012 तक पूरा होने की संभावना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह संस्थागत परिसर रचनात्मक कलाओं का हब बन जायेगा, जिसकी तुलना देश के श्रेष्ठ संस्थानों से की जायेगी।

39. कुल 104.40 करोड़ रुपये की लागत का एक विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणव9ाा सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। द सैन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी जुलाई, 2012 से मुरथल (सोनीपत) में अपने दस एकड़ के नये परिसर से संचालन शुरू कर देगा। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत जिला सोनीपत के गांव किलोड़ में इण्डियन इंस्टीच्यूट ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और निजी भागीदार का चयन वर्ष 2012-13 में कर लिया जायेगा।

40. चालू वर्ष को ''युवा वर्ष'' घोषित किया गया है इसे ध्यान में रखते हुए सरकार कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देगी ताकि युवा लाभप्रद रोज़गार प्राप्त कर सकें। कौशल विकास से संबंधित सभी विद्यमान योजनाओं को कौशल विकास मिशन के तहत लाया जायेगा। पारम्परिक इंजीनियरिंग ट्रेड्स के विद्यमान कार्यक्रमों को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाया जायेगा ताकि उन्हें विपणन की आवश्यकताओं के अनुसार और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। साथ ही, खुदरा, बीपीओ, यात्रा एवं पर्यटन, सत्कार जैसे सेवा उन्मुखी कोर्सों में कौशल विकास के लिए नये अल्पावधि कार्यक्रम भी शुरू किये जायेंगे।

41. मैं, वर्ष 2012-13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 307.55 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 85.08 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 218.50 करोड़ रुपये का योजनागत और 89.05 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

42. हरियाणा का औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग 123 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, 19 उत्कृष्टता केन्द्रों, सात राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों और रोहतक में एक राजकीय कला स्कूल, जिनकी कुल दाखिला क्षमता 34,184 है, के तंत्र के माध्यम से प्रदेश में कुशल मानवशक्ति की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। राजकीय संस्थानों के अलावा, 90 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित हैं, जिनकी कुल दाखिला क्षमता 13,840 है।

43. 12वीं पंचवर्षीय योजना में 22 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। तेरहवें वित्त आयोग के 100 करोड़ रुपये के अनुदान से आठ नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोल कर और तीन वर्तमान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार करके मेवात क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा दिया जायेगा। केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से गांव ओढां (सिरसा) में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जायेगा। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से तोशाम, रोहतक एवं करनाल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तीन सत्कार विंग स्थापित किये जायेंगे।

44. मैं, वर्ष 2012-13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 190.70 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ। इसमें 79.09 करोड़ रुपये का योजनागत और 111.61 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

बिजली

45. बिजली प्रदेश के विकास के लिए अति आवश्यक है और तदानुसार इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। चूंकि, प्रदेश ने तेजी से विकास किया है, इसलिए गत कुछ वर्षों में बिजली की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हमारी

सरकार का लक्ष्य सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं गुणवत्तापरक बिजली आपूर्ति करना है। हमने संप्रेषण एवं वितरण में समानुपातिक निवेश के साथ बिजली उत्पादन क्षमता में 5000 मैगावाट की अतिरिक्त वृद्धि करने के लिए ठोस पहल की है। इसके फलस्वरूप, प्रदेश के उपभोक्ताओं को इस समय प्रतिदिन 1009 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जबकि वर्ष 2004-05 में प्रतिदिन 578 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई थी।

46. मैं, माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 1999 से वर्ष 2005 तक की अवधि के दौरान, हरियाणा की अपनी उत्पादन क्षमता में केवल 724.4 मैगावाट की वृद्धि हुई, जबकि हमारी सरकार के सात वर्ष के कार्यकाल के दौरान, हम 2803 मैगावाट की वृद्धि कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, झज्जर में 1500 मैगावाट की इन्दिरा गांधी सुपर ताप बिजली परियोजना, हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की 500 मैगावाट की पहली इकाई हरियाणा दिवस अर्थात् पहली नवम्बर, 2010 को चालू की गई। इस परियोजना की 500 मैगावाट की दूसरी इकाई का 21 अक्तूबर, 2011 को सिंक्रोनाइजेशन किया गया और तीसरी इकाई भी मार्च, 2012 के अंत तक तैयार होने की संभावना है। इसके अलावा, भारत सरकार के मैकेनिज्म केस-2 के तहत सीएलपी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा झज्जर में स्थापित किये जा रहे 1320 मैगावाट के महात्मा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजैट की 660 मैगावाट की पहली इकाई का 11 जनवरी, 2012 को सिंक्रोनाइजेशन किया जा चुका है और 660 मैगावाट की दूसरी इकाई भी जुलाई, 2012 तक तैयार होने की सम्भावना है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम ने जिला फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में प्रस्तावित 4 X 700 मैगावाट के परमाणु

बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए परियोजना–पूर्व गतिविधियां शुरू कर दी हैं। परियोजना के प्रथम चरण में 700–700 मैगावाट की दो इकाइयां स्थापित की जानी प्रस्तावित हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है और प्रथम चरण (1400 मैगावाट) के वर्ष 2017–18 तक शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में संप्रेषण तंत्र के उन्नयन के लिए वर्ष 2011–12 और 2012–13 में लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

47. सरकार ने वर्ष 2011–12 के दौरान प्रदेश में विभिन्न बिजली निगमों को 3576.58 करोड़ रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.ई.) सबसिडी, 922.68 करोड़ रुपये इक्विटी और 228 करोड़ रुपये विश्व बैंक से सहायता के रूप में उपलब्ध करवाये हैं। आगामी वित्त वर्ष में, 3872.95 करोड़ रुपये की आर.ई. सबसिडी, 910.63 करोड़ रुपये की इक्विटी और 436.37 करोड़ रुपये के विश्व बैंक ऋण प्रस्तावित हैं।

48. हरियाणा को भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2011 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया और इस प्रकार हरियाणा वर्ष 2008–09 से लगातार चार वर्षों के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला अकेला राज्य बन गया है।

49. अक्षय ऊर्जा विभाग ने 1270 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 212 मैगावाट की 30 अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 11 स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ समझौते किये हैं। इस समय, अक्षय ऊर्जा बिजली उत्पादन की कुल प्रस्थापित क्षमता 155.5 मैगावाट है।

50. मैं, वर्ष 2012–13 के दौरान बिजली क्षेत्र के लिए 5237.72 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ। इसमें 1356.68 करोड़ रुपये का योजनागत और 3881.04 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

स्वास्थ्य

51. सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों को सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। विशेष रूप से मलिन आबादी को लक्षित करते हुए शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ''राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन'' शुरू करने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में, ऐसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। एक लाख की आबादी के लिए शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो उपचारात्मक, प्रोत्साहक एवं निवारक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवायेंगे। इसके अतिरिक्त, अनेक शहरों में पॉली क्लीनिक एवं औषधालय भी स्थापित किये जायेंगे। इस मिशन को चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा और आरंभ में शहरों की मलिन आबादी पर ध्यान केन्द्रित रहेगा।

52. सरकार ने इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना के तहत सभी बच्चों को नि:शुल्क उपचार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व, केवल बीपीएल परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा था। नि:शुल्क उपचार में जिला स्तर के सरकारी चिकित्सा संस्थानों के साथ-साथ स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे तृतीयक संस्थानों में सर्जरी, प्रत्यारोपण, सहायक उपकरण एवं दवाइयां उपलब्ध करवाना शामिल है।

53. सरकार बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना के सुधार पर बल दे रही है। अतिरिक्त खण्डों का निर्माण करके पानीपत, रिवाड़ी एवं नारनौल के तीन जिला अस्पतालों का दर्जा बढ़ाया गया है। झज्जर एवं बहादुरगढ़ में 18 करोड़ रुपये की लागत से नये अस्पताल भवनों का निर्माण करके उन्हें चालू किया गया है।

54. खानपुर कलां (सोनीपत)और नल्हड़ (मेवात)में दो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां में अस्पताल शुरू हो गया है, जहां रोज़ाना 500-600 बहिरंग रोगी आ रहे हैं। पंडित बी.डी.शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में 43.78 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशलिटी, ओपीडी एवं डेन्टल के लिए नये भवन बनाए गये हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक के परिसर में 65.06 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मातृ एवं शिशु अस्पताल, ट्रामा सेंटर एवं सभागार के भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा। सरकार ने प्रदेश के छः जिला अस्पतालों में जीएनएम नर्सिंग स्कूल स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

55. आयुष को चिकित्सा की मुख्यधारा में लाने के लिए वर्ष 2009 से लेकर अब तक जिला अस्पतालों में 21 आयुष विंग, 92 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष सेवाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 50 आयुष ओपीडी स्थापित की गई हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (बहादुरगढ़, बेरी एवं महेन्द्रगढ़ में एक-एक) में तीन आयुष आईपीडी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

56. श्रीकृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र के परिसर में राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशाला तथा राजकीय फॉर्मेसी के भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये संस्थान गुणवत्ता नियंत्रण और राज्य के आयुष अस्पतालों और औषधालयों में इस्तेमाल के लिए गुणवत्तापरक आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार करने की सुविधाएं उपलब्ध करवायेंगे।

57. मैं, वर्ष 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1653.03 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 209.42 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 756.59 करोड़ रुपये का योजनागत और 896.44 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

महिला एवं बाल विकास

58. राज्य महिलाओं एवं बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। समेकित बाल विकास स्कीम के विस्तार के तीसरे चरण के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 17,444 से बढ़ाकर 25,699 की गई है, जिनमें 512 लघु आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं।

59. महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए समेकित बाल विकास स्कीम के अन्तर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत पोषाहार एवं वित्तीय मानदण्ड संशोधित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, लाभानुभोगियों को पका हुआ गर्म खाना उपलब्ध करवाने के लिए 2.32 करोड़ रुपये की लागत से 7729 आंगनवाड़ी केन्द्रों को गैस कनैक्शन दिये गये हैं, जिससे खाना पकाते समय पौष्टिक तत्व कम नष्ट होंगे। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 100 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए नाबार्ड स्कीम के तहत 8.50 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

60. मैं, वर्ष 2012-13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 632.45 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 107.16 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 524.78 करोड़ रुपये का योजनागत और 107.67 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

61. हरियाणा सरकार समाज के सभी कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, सरकार ने वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, विकलांगों, किन्नरों, बौनों तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों और केवल लड़की या लड़कियों वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने

के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। इस समय, विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 20,99,171 व्यक्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

62. रोहतक में 2.18 करोड़ रुपये के निवेश से मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए राज्य पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। शून्य से 18 वर्ष तक के मानसिक रूप से विकलांग बच्चों, जो स्कूल नहीं जा सकते, का गुज़ारा भत्ता 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है।

63. इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जातियों और बीपीएल परिवारों की विधवाओं की लड़कियों को उनके विवाह के समय 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार, समाज के अन्य वर्गों के बीपीएल परिवारों की लड़कियों को 11,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। यह योजना बहुत सफल रही है और कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निपटने और लड़कियों के सशक्तिकरण में बड़ी सहायक रही है। अब ऐसे सभी परिवारों, जिनकी भूमि जोत अढ़ाई एकड़ से कम या आय एक लाख रुपये वार्षिक से कम है, की लड़कियों को इस योजना का लाभ देने के लिए इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है और ऐसे परिवारों की लड़कियों को उनके विवाह के समय 10,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

64. सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करके उनके कल्याण के प्रति भी कटिबद्ध है। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2011 तक विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 23,873 लाभानुभोगियों को 53.72 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई ।

65. अनुसूचित जाति उप–योजना विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए अनुसूचित जातियों को सीधे लाभ पहुंचाती है। अनुसूचित जाति उप–योजना के तहत अनुसूचित जाति की आबादी, जोकि जनगणना 2001 के अनुसार 19.35 प्रतिशत है, के बराबर की अपरिवर्तनीय धनराशि अनुसूचित जातियों के लोगों के लाभार्थ विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न विभागों ने अनुसूचित जाति उप–योजना के तहत 2593.29 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई। वर्ष 2012–13 के दौरान, राज्य के 14,500 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित योजनागत परिव्यय में से 2807.74 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति उप–योजना के तहत प्रस्तावित हैं।

66. अनुसूचित जाति उप–योजना के तहत किये गये आबंटन के अतिरिक्त, मैं वर्ष 2012–13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 2029.79 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ। इसमें 1904.62 करोड़ रुपये का योजनागत और 125.17 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

67. सरकार ने शुरू से ही कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी है। गेहूं तथा चावल, जोकि हरियाणा प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, का उत्पादन वर्ष 2010–11 में अब तक का सर्वाधिक क्रमशः 116.30 लाख टन और 34.72 लाख टन रहा, जबकि वर्ष 1966–67 में 10.59 लाख टन गेहूं और 2.23 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था। गेहूं उत्पादकता में उत्कृष्ट उपलब्धियों के दृष्टिगत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राज्य को ''कृषि कर्मण पुरस्कार'' प्रदान किया गया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने प्राप्त किया। इस पुरस्कार में एक करोड़ रुपये नकद, एक प्रशस्ति–पत्र व ट्राफी प्रदान की गई।

68. प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत खरीफ मौसम में बाजरा, कपास, मक्का एवं अरहर और रबी मौसम में चना, सरसों एवं जौं की फसलों का बीमा किया जाता है। राज्य सरकार ने चार खण्डों नामत: जिला अम्बाला में अम्बाला–II, कुरुक्षेत्र में बबैन, फतेहाबाद में टोहाना और पानीपत में मतलौडा में पायलट आधार पर गेहूं एवं धान की फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी शुरू की है। इस योजना का चार नये खण्डों नामत: गोहाना, बवानीखेड़ा, बावल एवं जाखल में विस्तार किया गया है। किसानों को गेहूं की फसल पर बीमा की किस्त के तौर पर 80 प्रतिशत से अधिक की सबसिडी और धान की फसल पर 75 प्रतिशत सबसिडी दी गई है, जो राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा समान रूप से वहन की जाती है।

69. गन्ने की फसल का क्षेत्र एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने चालू पिराई मौसम के दौरान गन्ने की अगेती, मध्यम एवं पछेती किस्मों के लिए गन्ना सुझावित मूल्य क्रमश: 231 रुपये, 226 रुपये और 221 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। गन्ने के रोपण के लिए ''रिंग पिट पद्धति'' नामक एक नई तकनीक को किसानों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

70. सब्जी उत्पादकों को लाभान्वित करने और सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ''शहरी समूहों के लिए सब्जी–पहल'' नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

71. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली दो तिहाई से अधिक आबादी कृषि के साथ–साथ पशुपालन का कार्य करती है। विभाग ने दुधारू पशुओं के आनुवंशिक सुधार तथा उन्हें रोगमुक्त रखने के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। समस्त पशुधन की चिकित्सा देखभाल और प्रजनन आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए प्रदेश में 2790 पशु चिकित्सा संस्थान हैं। प्रदेश में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 680 ग्राम है, जोकि देश में दूसरी सर्वाधिक और 262 ग्राम की राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहीं अधिक है।

72. विभाग मुर्राह नस्ल की भैंस और हरियाणा एवं साहीवाल नस्ल की गाय जैसी देसी नस्लों के संरक्षण, वृद्धि एवं सुधार की ओर विशेष ध्यान देकर आनुवंशिक स्टॉक के सुधार पर विशेष ध्यान दे रहा है। वर्ष 2012-13 के दौरान इस विशिष्ट जर्म प्लाज्म के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु चार करोड़ रुपये की राशि विशेष रूप से निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम के तहत और अधिक प्रजनन के लिए इस अनूठे जर्म प्लाज्म का एक बड़ा ''जीन पूल'' स्थापित करने के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता के मवेशियों की पहचान की जायेगी।

73. वर्ष 2012-13 के दौरान 80 पशु अस्पताल एवं औषधालय खोलने या उन्नयन करने और रिवाड़ी एवं गुड़गांव में दो नये पॉली क्लीनिक स्थापित करने का लक्ष्य है। सरकार ने दो हजार या इससे अधिक पशुओं वाली सभी गौशालाओं में पशु अस्पताल या औषधालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश में गायों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए ''गौ सेवा आयोग'' स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

74. हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, जिसका 81 प्रतिशत क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है। राज्य में सघन खेती होने के कारण प्राकृतिक वनों की कमी है। प्रदेश का कुल वन क्षेत्र मात्र 1.59 लाख हैक्टेयर है। तथापि, वन क्षेत्र की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश में पंचायती या सामुदायिक भूमि तथा कृषि भूमि पर पौधारोपण किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य के निकट

पहुंचने के लिए वर्ष 2006 में राज्य वन नीति तैयार की गई। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में वन एवं वृक्षों के तहत क्षेत्र को वर्तमान 6.80 प्रतिशत (भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट- 2011 के अनुसार) से बढ़ाकर चरणबद्ध ढंग से 20 प्रतिशत करना है।

75. वर्ष 2011-12 के दौरान 192 लाख पौधे लगाकर और प्रदेश के लोगों को 308 लाख पौधे मुफ्त वितरित करके 17,809 हैक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के तहत लाया जायेगा। इस प्रकार, वर्ष के दौरान राज्य योजना स्कीम के तहत 146.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके कुल 500 लाख पौधे लगाये जायेंगे।

76. औषधीय पौधों की काश्त को बढ़ावा देकर पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और किसानों को फसल विविधिकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किये गये हैं। अब तक, 17.86 करोड़ रुपये की लागत से 32 हर्बल पार्क स्थापित किये जा चुके हैं और 10 अन्य हर्बल पार्क स्थापित किये जा रहे हैं।

77. भिवानी के लघु चिड़ियाघर का नवीनीकरण करके उसे वन्य जीव संरक्षण एवं शिक्षा को समर्पित किया गया है। रोहतक चिड़ियाघर के क्षेत्र को 16 एकड़ से बढ़ाकर 44 एकड़ करके उसका विस्तार एवं नवीनीकरण किया जा रहा है। चिड़ियाघर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और नये पशु बाड़े बनाये जा रहे हैं ताकि वन्य जीवों को रहने के लिए बेहतर स्थल मिल सके।

78. मैं, वर्ष 2012-13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 1636.76 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 107.58 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 895.37 करोड़ रुपये का योजनागत और 741.39 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

सिंचाई

79. चूंकि, हरियाणा पानी की कमी वाला प्रदेश है और पानी की उपलब्धता बहुत कम अर्थात् 14 एमएएफ है, जबकि आवश्यकता 36 एमएएफ की है। इसलिए, जल संरक्षण सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य है। पानी के संवहन के दौरान होने वाली क्षति को कम करने के लिए नहरी तंत्र के सुधार का कार्य किया जा रहा है। जलमार्गों की रि–मॉडलिंग एवं मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। चिह्नित किये गये कुल 7633 जलमार्गों में से अब तक 2051 जल मार्गों की मरम्मत की जा चुकी है और 249 जलमार्गों पर कार्य प्रगति पर है। शेष जलमार्गों की मरम्मत भी चरणबद्ध ढंग से की जायेगी।

80. गुड़गांव तथा दूसरे विकासशील औद्योगिक कस्बों जैसे कि मानेसर, बहादुरगढ़, सांपला एवं बादली में पेयजल आपूर्ति के संवर्धन के लिए एनसीआर जल आपूर्ति चैनल बनाया जा चुका है और चैनल का टैस्ट रन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। दिल्ली को पेयजल आपूर्ति करने के लिए कैरियर लाइंड चैनल भी पूरा होने वाला है। जिला पंचकूला में घग्घर नदी पर 217 करोड़ रुपये की लागत से कौशल्या बांध बनाया गया है और यह पंचकूला को पेयजल आपूर्ति करने के अतिरिक्त बाढ़ों को रोकने में सहायक होगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को पानी की आपूर्ति करने के लिए बांध के जलाशय में पानी का भण्डारण पहले ही किया जा चुका है, जिसके लिए प्राधिकरण ने पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है ।

81. मैं, वर्ष 2012–13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 1966.89 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 218.41 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 976.33 करोड़ रुपये का योजनागत और 990.56 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

82. हरियाणा में 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों में पेयजल का कम से कम एक-एक सुरक्षित स्त्रोत उपलब्ध करवा दिया गया था। अब सरकार जनसंख्या के आधार पर बस्तियों में पेयजल आपूर्ति पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 943 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति में संवर्धन किया जाएगा और वर्ष 2012-13 में अन्य 950 बस्तियों में संवर्धन करने का प्रस्ताव है।

83. पंचायती राज संस्थाओं को 1459 बस्तियों के 2663 नलकूपों के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य सौंपा गया है, जिनमें से 1219 नलकूप वर्ष 2011-12 में हस्तांतरित किये गये।

84. चालू वित्त वर्ष के दौरान एनसीआर योजना बोर्ड ने पानीपत, समालखा, हथीन, पटौदी, हेली मण्डी एवं फर्रूख नगर कस्बों, नूंह में नल्हड़ चिकित्सा महाविद्यालय और 17 गांवों के लिए कुल 513.32 करोड़ रुपये लागत की जल आपूर्ति एवं सीवरेज योजनाएं अनुमोदित की हैं।

85. तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के तहत शिवालिक क्षेत्र तथा दक्षिणी हरियाणा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए कुल 94.50 करोड़ रुपये लागत की पेयजल संवर्धन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मेवात के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति में सुधार के लिए कुल 64.30 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। आगामी वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान शिवालिक क्षेत्र, दक्षिणी हरियाणा और मेवात क्षेत्र में जल आपूर्ति के सुधार पर 100 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

86. 14 कस्बों नामत: अम्बाला, असन्ध, भिवानी, चरखी दादरी, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, हांसी, कैथल, कलायत, महेन्द्रगढ़, नारनौल, सिरसा, टोहाना एवं

उचाना में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति व सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य 959.20 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। अब तक 537 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और यह परियोजना मार्च, 2013 तक पूरी हो जाएगी।

87. मैं, वर्ष 2012-13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 2212.64 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 312.33 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 1207.37 करोड़ रुपये का योजनागत और 1005.27 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

सड़कें एवं परिवहन

88. चालू वित्त वर्ष में नवम्बर, 2011 तक लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा 760 करोड़ रुपये खर्च करके 1512 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई। हरियाणा में खनन पर प्रतिबंध के कारण निर्माण सामग्री की कम उपलब्धता के बावजूद, सड़कों पर पैबन्द लगाकर व गड्ढों की मरम्मत करके, उन्हें सेवा के संतोषजनक स्तर पर बनाये रखा गया। सरकार ने सड़क क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को आकर्षित करने के लिए कदम उठाये हैं, जोकि आधारभूत संरचना विकास की गति को तेज करने के लिए आवश्यक है।

89. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) स्वयं के भवनों और राज्य बजट या डिपोज़िट वर्क के तहत अन्य विभागों जैसे कि स्वास्थ्य, उच्चतर शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जिला प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, परिवहन, नागरिक उड्डयन, श्रम आदि के भवनों का निर्माण कार्य भी करता है। वर्ष 2011-12 के लिए विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत भवनों के निर्माण के

लिए 418 करोड़ रुपये और रख–रखाव एवं मरम्मत के लिए 126 करोड़ रुपये का बजट आबंटित है।

90. सरकार समाज के सभी वर्गों को प्रभावी एवं सुनियोजित सड़क परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। वित्त वर्ष 2012–13 में परिवहन विभाग का योजनागत आबंटन बढ़ाकर 165 करोड़ रुपये किया गया है। इस धनराशि से आगामी वित्त वर्ष के अंत तक हरियाणा रोडवेज़ के बेड़े में बसों की संख्या को 3500 से बढ़ाकर 4000 किया जायेगा और पुरानी बसों को भी नियमित आधार पर बदला जायेगा। लोगों की मांग पर 10 वोल्वो बसों के वर्तमान बेड़े का विस्तार करके 35 बसों तक किया जायेगा। नये बस अड्डों एवं कर्मशालाओं के निर्माण के साथ–साथ उनकी मरम्मत, रख–रखाव एवं उन्नयन पर भी ध्यान दिया जायेगा। मोटर वाहन कर एवं शुल्क के रूप में एकत्रित राजस्व वर्ष 2010–11 के 457.36 करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में लगभग 700 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

91. मैं, वर्ष 2012–13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 4080.42 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 312.45 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 1833.10 करोड़ रुपये का योजनागत और 2247.32 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

उद्योग एवं वाणिज्य

92. माननीय अध्यक्ष महोदय! हरियाणा निवेशकों के लिए पहली पसंद बनकर उभरा है, जहां प्रतिबद्ध निवेश के क्रियान्वयन की दर देश में सर्वाधिक है। अब सरकार विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर बल दे रही है। तदानुसार, राज्य ने उद्योग की भागीदारी से विभिन्न समूहों के लिए कलस्टर्ज की स्थापना हेतु ठोस कदम उठाए हैं, जो सूक्ष्म,

छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए सांझा सुविधा केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे। इन कलस्टर्ज से इस क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक संस्थागत सहायता तंत्र उपलब्ध होगा और ये अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता, उत्पादों के मानकीकरण, गुणवत्ता परीक्षण एवं मार्किंग सुविधाओं, उत्पादों की ब्रांडिंग के प्रोत्साहन के साथ विपणन पहलों आदि के क्षेत्रों में सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों की सांझा आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगे। ऐसे कुल 15 कलस्टर्ज की पहचान की गई है।

93. औद्योगिक एवं निवेश नीति, 2011 प्रदेश में औद्योगिक आधारभूत संरचना के सृजन एवं विकास में निजी पहल को प्रोत्साहित करती है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक कालोनियों के विकास के लिए तीन लाइसेंस पहले ही दिये जा चुके हैं। औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास के लिए उत्तरदायी एकमात्र सरकारी एजेंसी, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की योजनाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए एक पूरक प्रयास के रूप में यह एक अच्छी शुरुआत है। निगम वर्ष 2011–12 में (जनवरी, 2012 तक) भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों पर 923 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है और भूमि बैंक सृजित करने की योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

94. आई.टी. उद्योग प्रदेश में रोज़गार और निर्यात का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गुड़गांव को उत्तरी भारत में पहले से ही एक आईटी और बीपीओ कैपिटल के रूप में जाना जाता है और देश में आईटी एवं बीपीओ क्षेत्र में इसका हिस्सा नौ प्रतिशत है।

95. राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं आम जनता में सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग कौशल के सृजन को, सूचना प्रौद्योगिकी को पूर्ण रूप से अपनाने के एक महत्वपूर्ण

अंग के तौर पर माना जा रहा है। प्रदेश में 2600 से अधिक राजकीय विद्यालयों तथा 64 महाविद्यालयों में आई.टी. प्रयोगशालाएं स्थापित करने के अतिरिक्त हारट्रोन ने इस वर्ष के दौरान प्रदेशभर में 46 अतिरिक्त फ्रेंचाइजी सैन्टर भी आबंटित किये हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक 33,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। अब तक, 800 लड़कियों व महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और आगामी वित्त वर्ष में 4200 लड़कियों व महिलाओं को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने की योजना है।

आबकारी एवं कराधान

96. मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने वाली आम जनता को राहत प्रदान करने के मद्देनजर, राज्य सरकार ने वर्ष 2011–12 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल पर वैट समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने सेवारत केन्द्रीय पुलिस कर्मियों और भूतपूर्व सैनिकों को बेचने के लिए केन्द्रीय पुलिस केन्टीन को बेची जाने वाली ऐसी वस्तुओं पर वैट दर में पांच प्रतिशत छूट की सुविधा भी प्रदान की है, जिन पर अन्यथा लागू कर की दर पांच प्रतिशत से अधिक है।

97. देश के सभी राज्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि चीनी एवं कपड़े पर पांच प्रतिशत की दर से वैट लगाया जाये, क्योंकि इन वस्तुओं को अब उन वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है, जिन पर केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाया जाता था। इस निर्णय के अनुरूप, राज्य ने पहली अप्रैल, 2012 से चीनी एवं कपड़े पर पांच प्रतिशत

की दर से कर लगाने का निर्णय लिया है। बहरहाल, खादी पर कोई कर नहीं होगा, जिसे सरकार द्वारा पहले ही छूट दी जा चुकी है।

सहकारिता

98. किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 70 वर्ष की आयु तक, दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने पर 50,000 रुपये तक का जोखिम लाभ दिया जाता है। हरियाणा में 12.93 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं।

99. हरियाणा डेरी ने उन किसानों के लिए बीमा योजना शुरू की है, जो इसके प्रतिबद्ध सदस्य हैं तथा पिछले तीन वर्षों से निरन्तर दूध की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसे किसानों का एक लाख रुपये का बीमा किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें केवल दस रुपये देने होंगे। इस योजना के अंतर्गत 26 हजार दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है। जिला कैथल के उझाना में स्थित वर्तमान मिल्क चिलिंग सैन्टर का दर्जा बढ़ाकर इसे पूर्ण ''मिल्क प्लांट'' बनाने का प्रस्ताव है।

100. चालू वित्त वर्ष के दौरान, 111 नई सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां पंजीकृत की गईं, जिनके 1221 बेरोज़गार शिक्षित युवा सदस्य हैं, जिनमें से अधिकतर इंजीनियर एवं टैक्नीशियन हैं। इन समितियों ने चालू वर्ष के दौरान नवम्बर, 2011 तक 394.24 करोड़ रुपये के कार्य निष्पादित किये।

101. मैं, वर्ष 2012–13 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 224.28 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ, जोकि चालू वर्ष के आबंटन से 13.04 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें 89 करोड़ रुपये का योजनागत और 135.28 करोड़ रुपये का योजनेत्तर परिव्यय शामिल है।

श्रम एवं रोज़गार

102. राज्य सरकार ने सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने, कार्यस्थल पर श्रमिकों की औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और संगठित एवं असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रयोक्ता-अनुकूल तथा ई-शासन हेतु संशोधनीय बनाने के लिए विभिन्न अधिनियमनों के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग की सुविधा शुरू की गई है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पंजाब दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम और कारखाना अधिनियम से संबंधित हैं। इसी प्रकार, उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रावधानों के अनुपालन के लिए ऑनलाइन स्व-प्रमाणीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक परिवेश को और अधिक प्रगतिशील एवं ग्राहक अनुकूल बना रही है।

103. श्रमिक वर्ग से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को पूरी तरह से निष्प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी की दरों को छमाही आधार पर अद्यतन किया जाता है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी की दर को पहली जनवरी, 2012 से संशोधित करके 4847.17 रुपये प्रतिमास और 186.42 रुपये प्रतिदिन किया गया है, जोकि देश में सर्वाधिक है। सरकार ने विभिन्न अनुसूचित रोज़गारों में लगे ''सफाई कर्मचारियों'' के लिए न्यूनतम मज़दूरी में 500 रुपये प्रतिमास की वृद्धि करने का निर्णय भी लिया है।

104. रोज़गार विभाग अधिसूचित नौकरियों के लिए आवेदकों का पंजीकरण करता है, नौकरी चाहने वालों का व्यावसायिक मार्गदर्शन करता है और संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से रोज़गार के आंकड़े एकत्रित करता है। विभाग की कार्यप्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और विभाग की सभी सेवाओं को उसकी वैबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाया गया है।

105. दिसम्बर, 2011 तक 60,387 लाभानुभोगियों को बेरोज़गारी भत्ते के रूप में 34.77 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। विदेशीय रोज़गार ब्यूरो ने विदेशों में उच्चतर शिक्षा और नौकरी चाहने वालों के लिए हरियाणा के विभिन्न शहरों में संगोष्ठियां आयोजित की। चालू वित्त वर्ष के दौरान 228 आवेदकों ने विदेशीय रोज़गार ब्यूरो में पंजीकरण करवाया और 6062 आवेदकों ने निजी रोज़गार परामर्शी एवं भर्ती सेवा केन्द्रों में पंजीकरण करवाया है। विभाग के प्रयासों से 616 से अधिक आवेदकों को निजी क्षेत्र में लाभदायक रोज़गार मिला है। चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यावसायिक मार्गदर्शन इकाइयों ने समूह मार्गदर्शन, कैरियर टॉक्स और कैरियर वीक्स के माध्यम से 1,25,521 आवेदकों को व्यावसायिक जानकारी प्रदान की।

खाद्य एवं आपूर्ति

106. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को उनके कृषि उत्पादों का लाभदायक मूल्य मिले और उपभोक्ताओं, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को गेहूं, चीनी एवं मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हों।

107. हरियाणा खाद्यान्नों के उत्पादन एवं खरीद के मामले में लगातार एक अधिशेष राज्य बना हुआ है। रबी मौसम (2011-12) के दौरान, केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार के लिए 69.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। खरीफ मौसम (2011-12) के दौरान, 29.23 लाख मीट्रिक टन सामान्य एवं ग्रेड-ए लेवी धान की खरीद की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान गेहूं और धान की खरीद प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक रही। रबी मौसम (2012-13) के लिए राज्य की खरीद एजेंसियों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये

1285 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के प्रबंध किये हैं।

108. इस समय, हरियाणा प्रदेश में आवृत्त भण्डारण क्षमता केवल 48.79 लाख मीट्रिक टन है। इस अंतर को पाटने के लिए, भारतीय खाद्य निगम ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली में गोदामों के निर्माण के लिए निजी उद्यमी गारन्टी योजना के तहत प्रदेश में 39.55 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग करनाल में 25,000 मीट्रिक टन और समालखा (पानीपत) में 10,270 मीट्रिक टन की आवृत्त भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण कर रहा है। विभाग ने गांव ढांड में सिंचाई विभाग की फालतू खाली भूमि और जिला फतेहाबाद के गांव नाथवां में पंचायत की भूमि की पहचान भी की है, जहां नाबार्ड की ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि के तहत क्रमश: 50,000 मीट्रिक टन और 26,000 मीट्रिक टन की आवृत्त भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जायेगा।

बजट अनुमान 2012-13

109. अध्यक्ष महोदय! अब मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बजट अनुमान 2012-13 के अन्तर्गत, 44,708.47 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां (सार्वजनिक ऋण का निवल) दर्शाई गई हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 37,327.97 करोड़ रुपये, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक ऋण का निवल) 7380.50 करोड़ रुपये की हैं। ये प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2011-12 के संगत आंकड़ों की तुलना में क्रमश: 4797.13 करोड़ रुपये, 3840.34 करोड़ रुपये तथा 956.79 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाती हैं। बजट अनुमान 2012-13 में, कुल

खर्च (भुगतानों को छोड़कर) 45,318.93 करोड़ रुपये दर्शाया गया है, जिसमें राजस्व खर्च 39,783.52 करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्च 5535.41 करोड़ रुपये है। यह खुशी की बात है कि ये संशोधित अनुमान 2011-12 के संगत आंकड़ों की तुलना में क्रमशः 3831.16 करोड़ रुपये, 3734.27 करोड़ रुपये तथा 96.89 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाते हैं। बजट अनुमान 2012-13 में, 2455.55 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा और 7596.82 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 के लिये चालू राजस्व शेष 5266.14 करोड़ रुपये दर्शाया गया है।

110. महोदय! अब मैं बजट अनुमान 2012-13 में किये गये क्षेत्रवार आबंटनों के बारे में बताना चाहूँगा। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र को 1636.76 करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र को 5237.72 करोड़ रुपये, सड़क एवं परिवहन क्षेत्र को 4080.42 करोड़ रुपये, सिंचाई क्षेत्र को 1966.89 करोड़ रुपये, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र को 2212.64 करोड़ रुपये, शहरी विकास क्षेत्र को 1761 करोड़ रुपये, शिक्षा क्षेत्र को 8245.58 करोड़ रुपये, खेल क्षेत्र को 127.17 करोड़ रुपये, औद्योगिक प्रशिक्षण को 190.70 करोड़ रुपये, तकनीकी शिक्षा को 307.55 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र को 1653.03 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण क्षेत्र समेत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता क्षेत्र को 2662.24 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत क्षेत्र को 1206.59 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

111. बजट अनुमान 2011-12 में दर्शाई गई 13,200 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना की तुलना में वार्षिक राज्य योजना 2012-13 के लिये 14,500 करोड़ रुपये का आबंटन प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये 2049.49 करोड़ रुपये के परिव्यय को भी

योजनागत मद में शामिल किया गया है, जिससे बजट अनुमान 2012–13 में संयुक्त योजनागत परिव्यय बढ़कर 16,549.49 करोड़ रुपये हो गया है।

112. महोदय ! अब मैं कुछ नई पहलों का उल्लेख करना चाहूँगा। सरकारी कर्मचारियों को ऋण वितरित करने का कार्य विभागों को सौंपने की प्रक्रिया पहली अप्रैल, 2011 से चरणबद्ध ढंग से शुरू की गई थी। आरंभ में, विभागों को विवाह एवं कम्प्यूटर ऋण वितरित करने के अधिकार सौंपे गये, जो पहले वित्त विभाग में केन्द्रित थे। अब आगामी वित्त वर्ष से आवास निर्माण ऋण तथा वाहन ऋण जैसे अन्य ऋणों की स्वीकृति के अधिकार विभागाध्यक्षों को देने का प्रस्ताव है।

113. महात्मा गांधी स्वावलम्बन पेंशन योजना को वर्ष 2010–11 में राज्य के चार जिलों में पायलट आधार पर शुरू किया गया। इस समय, इस योजना के तहत दुग्ध सहकारी समितियों एवं गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था में सदस्यों की मदद करने के लिए उन्हें सेवानिवृत्ति पेंशन प्रदान करना है। अब इस योजना का प्रदेशभर में विस्तार करने और अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत सभी वर्गों की ग्रामीण एवं शहरी आबादी को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य प्रतिमास 200 रुपये का योगदान देगा, जबकि राज्य सरकार 100 रुपये प्रतिमास और भारत सरकार 1000 रुपये वार्षिक देगी। यह धनराशि पेंशन निधी विनियामक और विकास प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यावसायिक रूप से प्रबंधित एक कोष में जायेगी और इस योजना के तहत एकत्रित धनराशि का इस्तेमाल वृद्धावस्था में सदस्यों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए किया जायेगा।

114. प्रदेश में मानव विकास सूचकांक का ब्यौरा तैयार करने का एक व्यापक कार्य किया जायेगा। इस संदर्भ में, प्रदेश का मानव विकास सूचकांक तैयार करने और राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर उसकी तुलना करने के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाई जायेगी। गरीबी, अनुसूचित जाति आबादी, कृषि श्रमिक, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान जैसे विभिन्न संकेतकों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जो राज्य, जिला व खण्ड के लिए मानव विकास सूचकांक तैयार करने के घटक होंगे।

निष्कर्ष एवं संस्तुति

115. इस भाषण को समाप्त करने से पहले, मैं प्रधान सचिव (वित्त) के नेतृत्व में वित्त विभाग व नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेन्टर के अधिकारियों व कर्मचारियों, जिन्होंने इन बजट प्रस्तावों को तैयार करने व प्रस्तुत करने में मेरी सहायता में दिन-रात एक कर दिया, के अथक प्रयासों, सहयोग और उनकी कर्त्तव्यपरायणता की प्रशंसा करना चाहूँगा।

116. अध्यक्ष महोदय! आपके माध्यम से मैं इस सदन और हरियाणा के लोगों को सत्यनिष्ठा से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करेंगे तथा हरियाणा को उसी गतिशीलता एवं उत्साह के साथ विकास पथ पर ले जाने के लिये स्वयं को समर्पित करेंगे, जैसाकि हमने गत सात वर्षो में किया है।

117. महोदय! मैं इन शब्दों के साथ वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों को इस गरिमामय सदन के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द !

49666—F.D.—H.G.P., Chd.